

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -74 / 2023

अनवान : -

1. कुल खां पुत्र सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
- वादी

बनाम्

1. वजीर खां पुत्र सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
2. दीपू खां पुत्र सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
3. लाल खां पुत्र सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
4. दीवान खां पुत्र सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
5. जरीना पुत्री सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
6. सगीना पुत्री सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
7. रोशनी पुत्री सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
8. मैदा पत्नी फूल खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
9. लियाकत अली पुत्र फूल खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
10. श्योकत खां पुत्र फूल खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
11. अखतर अली पुत्र फूल खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
12. मैना बानो पुत्री फूल खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 25.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि व संयुक्त परिवार की आय से रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 171/167 के खसरा नं. 350/2 की 4.000000 भूमि वादी



की माता मृतका जुमिया पत्नी सुलतान खां के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 172/168 के खसरा नं. 123/3 की 0.7080 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि वादी की माता मृतका जुमिया पत्नी सुलतान खां के नाम दर्ज है व 1/50 हिस्सा भूमि मैना पुत्री फूल खां के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 508/496 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.7580 है० भूमि में से 1/30 हिस्सा भूमि मैना पुत्री फूल खां के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 507/497 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.9830 है० भूमि वादी के भाई लाल खां पुत्र सुलतान खां के नाम दर्ज है जो संयुक्त तौर से आवंटित भूमि है तथा खाता संख्या 384/384 के कुल खसरे 6.3230 है० भूमि में से 1644/6323 हिस्सा भूमि वादी के भाई दीवान खां पुत्र सुलतान खां के नाम दर्ज है जो संयुक्त परिवार की आय से पैदा करदा भूमि है।

वादी की माता जुमिया पत्नी सुलतान खां का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व फूल खा पुत्र सुलतान हुए जिनमें फूल खां का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 हुए। उपरोक्त कृषि भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि व संयुक्त परिवार की आय से पैदा करदा भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा निहित है।

प्रतिवादीया संख्या 5 ता 7 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह भाईयो व भाई के वारिसान के पक्ष में परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 12 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 व 12 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 171/167 के खसरा नं. 350/2 की 4.6790 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि पर व 1/6 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ब० हि० ब० काबिज है तथा खाता संख्या 172/168 के खसरा नं. 123/3 की 0.7080 है० भूमि में मृतका जुमिया पत्नी सुलतान के नाम दर्ज भूमि व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि पर काबिज है व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी 9 ता 11 ब० हि० ब० काबिज है तथा खाता संख्या 172/168 के खसरा नं. 123/3 की 0.7080 है० भूमि में से 1/50 हिस्सा व खाता संख्या 508/496 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.7580 है० भूमि में से 1/30 हिस्सा भूमि जो मैना पुत्री फूल खां के नाम दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ब० हि० ब० काबिज है व खाता संख्या 507/497 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.9830 है० भूमि जो लाल खां के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि पर काबिज व 1/6 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ब० हि० ब० काबिज है व खाता संख्या 384/384 के कुल खसरे 2 की कुल 6.3230 है० भूमि में से 1644/6323 हिस्सा भूमि जो दीवान खां पुत्र सुलतान खां के नाम दर्ज है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1

2/5

ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा हिस्सा भूमि में काबिज है व 1/6 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह वादी के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तथा रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 171/167 के खसरा नं. 350/2 की 4.6790 है0 भूमि में मृतका जुमिया पत्नी सुलतान का नाम कलमजन करवाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज करवा दे तथा खाता संख्या 172/168 के खसरा नं. 123/3 की 0.7080 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का व मृतका जुमिया पत्नी सुलतान का नाम कलमजन करवाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी 9 ता 11 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार दर्ज करवा दे तथा खाता संख्या 172/168 के खसरा नं. 123/3 की 0.7080 है0 भूमि में से 1/50 हिस्सा भूमि में मैना पुत्री फूल खां का नाम कलमजन करवाकर प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज करवा दे व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दुरुस्त करवाकर नजीर खां की जगह वजीर खां दर्ज करवा दे व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दुरुस्त करवाकर दलीप खां की जगह दीपु खां दर्ज करवा दे एवं खाता संख्या 508/496 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.7580 है0 भूमि में से 1/30 हिस्सा भूमि में मैना पुत्री फूल खां का नाम कलमजन करवाकर प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज करवा दे व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दुरुस्त करवाकर बजीर खां की जगह वजीर खां दर्ज करवा दे व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दुरुस्त करवाकर दलीप खां की जगह दीपु खां दर्ज करवा दे एवं खाता संख्या 507/497 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.9830 है0 भूमि जो लाल खां के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज करवा दे एवं खाता संख्या 384/384 के कुल खसरे 2 की कुल 6.3230 है0 भूमि में से 1644/6323 हिस्सा भूमि जो दीवान खां पुत्र सुलतान खां के नाम दर्ज है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 दर्ज करवा दे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल-आजकल करते रहे आखिरकार साफ इन्कार हो गया। यही विनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 11 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी स0 11 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद को स्वीकार करते हुए पारिवारिक समझौता पेश किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी

रोही मौजा ननाउ सम्वत 2070/2073 के खाता स0 171/167 प्रदर्श-1, खाता स0 172/168 प्रदर्श-2, खाता स0 508/496 प्रदर्श-3, खाता स0 507/497 प्रदर्श-4, खाता स0 384/384 प्रदर्श-5, पारिवारिक समझौता राजीनामा प्रदर्श-6, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श-7, सदस्य प्रमाण पत्र सरंपच ग्राम पंचायत ननाउ प्रदर्श-8, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक फुले खां प्रदर्श-9, मृत्यु प्रमाण पत्र जूमिया प्रदर्श-10, जमाबंदी रोही मौजा ननाउ सम्वत 2029-38 प्रदर्श-11 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 व 11 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 171/167 के खसरा नं. 350/2 की 4.6790 है0 भूमि वादी की माता मृतका जुमिया पत्नी सुलतान खां के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 172/168 के खसरा नं. 123/3 की 0.7080 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि वादी की माता मृतका जुमिया पत्नी सुलतान खां के नाम दर्ज है व 1/50 हिस्सा भूमि मैना पुत्री फूल खां के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 508/496 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.7580 है0 भूमि में से 1/30 हिस्सा भूमि मैना पुत्री फूल खां के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 507/497 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.9830 है0 भूमि वादी के भाई लाल खां पुत्र सुलतान खां के नाम दर्ज है जो संयुक्त तौर से आवंटित भूमि है तथा खाता संख्या 384/384 के कुल खसरे 6.3230 है0 भूमि में से 1644/6323 हिस्सा भूमि वादी के भाई दीवान खां पुत्र सुलतान खां के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक जुमिया के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 11 द्वारा जवाब इकबाल दावा/पारिवारिक समझौता पेश किया गया है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 11 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 171/167 के खसरा नं. 350/2 की 4.

6790 है0 भूमि में मृतका जुमिया पत्नी सुलतान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी 9 ता 11 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खाता संख्या 172/168 के खसरा नं. 123/3 की 0.7080 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का व मृतका जुमिया पत्नी सुलतान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खाता संख्या 172/168 के खसरा नं. 123/3 की 0.7080 है0 भूमि में से 1/50 हिस्सा भूमि में मैना पुत्री फूल खां का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दुरुस्त किया जाकर नजीर खां की जगह वजीर खां दर्ज किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दुरुस्त किया जाकर दलीप खां की जगह दीपु खां दर्ज किया जाता है एवं खाता संख्या 508/496 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.7580 है0 भूमि में से 1/30 हिस्सा भूमि में मैना पुत्री फूल खां का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दुरुस्त किया जाकर बजीर खां की जगह वजीर खां दर्ज किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दुरुस्त किया जाकर दलीप खां की जगह दीपु खां दर्ज किया जाता है एवं खाता संख्या 507/497 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.9830 है0 भूमि जो लाल खां के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 खातेदार घोषित किये जाते है एवं खाता संख्या 384/384 के कुल खसरे 2 की कुल 6.3230 है0 भूमि में से 1644/6323 हिस्सा भूमि जो दीवान खां पुत्र सुलतान खां के नाम दर्ज है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब0 हि0 ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...27/5/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-ननाऊ

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -74/2023

अनवान : -

1. कुल खां पुत्र सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
- वादी

बनाम्

1. वजीर खां पुत्र सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
2. दीपू खां पुत्र सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
3. लाल खां पुत्र सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
4. दीवान खां पुत्र सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
5. जरीना पुत्री सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
6. सगीना पुत्री सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
7. रोशनी पुत्री सुलतान खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
8. मैदा पत्नी फूल खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
9. लियाकत अली पुत्र फूल खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
10. श्योकत खां पुत्र फूल खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
11. अखतर अली पुत्र फूल खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
12. मैना बानो पुत्री फूल खां जाति मुसलमान धोबी निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 74 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 171/167 के खसरा नं. 350/2 की 4.6790 है0 भूमि में मृतका जुमिया पत्नी सुलतान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी 9 ता 11 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा खाता संख्या 172/168

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

के खसरा नं. 123/3 की 0.7080 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का व मृतका जुमिया पत्नी सुलतान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी 9 ता 11 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खाता संख्या 172/168 के खसरा नं. 123/3 की 0.7080 है० भूमि में से 1/50 हिस्सा भूमि में मैना पुत्री फूल खां का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दुरुस्त किया जाकर नजीर खां की जगह वजीर खां दर्ज किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दुरुस्त किया जाकर दलीप खां की जगह दीपु खां दर्ज किया जाता है एवं खाता संख्या 508/496 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.7580 है० भूमि में से 1/30 हिस्सा भूमि में मैना पुत्री फूल खां का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दुरुस्त किया जाकर बजीर खां की जगह वजीर खां दर्ज किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दुरुस्त किया जाकर दलीप खां की जगह दीपु खां दर्ज किया जाता है एवं खाता संख्या 507/497 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.9830 है० भूमि जो लाल खां के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब० हि० ब० खातेदार घोषित किये जाते है एवं खाता संख्या 384/384 के कुल खसरे 2 की कुल 6.3230 है० भूमि में से 1644/6323 हिस्सा भूमि जो दीवान खां पुत्र सुलतान खां के नाम दर्ज है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के ब० हि० ब० खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट- ननारु